

राजस्थान सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/ 4870-77

दिनांक: 21/02/2023

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01-02/2022 दिनांक 27.06.2022 के तहत अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1-5) संस्कृत/सामान्य (नॉनटीएसपी/टीएसपी) सीधी भर्ती 2022 हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में रीट परीक्षा-2021 के प्राप्तांकों के आधार पर अध्यापक लेवल प्रथम (संस्कृत) टीएसपी पद हेतु वरीयता निर्मित कर प्राविजनिल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त पात्र पाये जाने पर वरीयतानुसार चयन किए जाने के फलस्वरूप व्यनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के समुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जा कर कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निर्मांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- 1 लवत परिवेशाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 23700/- (L-10) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान 0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। पूर्व से ही नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबद्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- 2 परिवेशाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- 3 यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनरथ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- 4 परिवेशाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावद्याधीन निधि की कटौती नहीं होगी।
- 5 परिवेशाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- 6 परिवेशाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हे कलैंपडर वर्ष में केवल 15 दिन का आक्रिमिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- 7 दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार अध्यापक की पै-मेट्रिक्स लेवल-10 में किया जायेगा।
- 8 यह नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 15.03.2022 को पारित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में प्रदत्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी।

अध्यापक लेवल प्रथम – संस्कृत (टीएसपी)

SNO	REET 2021 MARKS	Application No	Candidate Name	Father Name	G	Marital Status	DOB	Category	Selection Category	Special Category	Home District	Name of School	P.S.	Dist.
1	114	20222291014	DEEPAK VYAS	JAGDEESH CHANDRA VYAS	M	UM	27-10-1993	GENERAL	UR		BANSWARA	रा.उ.प्रा.सं.वि., कारछा	खेरवाडा	उदयपुर
2	114	20222294816	PRAKASH PATIDAR	GAUTAM PATIDAR	M	UM	28-09-2000	GENERAL	UR		BANSWARA	रा.प्रवे.सं.वि., दलोट	दलोट	प्रतापगढ़
3	97	20222290200	RAMLAL MASAR	BHEMA MASAR	M	M	12-07-1987	S.T	ST		BANSWARA	रा.प्रा.सं.वि., सोम	फलसिया	उदयपुर

- 1 अन्यथीं सर्वप्रथम संकुल केन्द्र पर उपरित होकर कार्यारम्भ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संकुल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण करने से पूर्व अन्यथियों से पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि आयु शैक्षणिक योग्यता (संस्कृत शिक्षक हेतु वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा/प्राक् शास्त्री/उत्तर मध्यमा की योग्यता होना अनिवार्य है। इस योग्यता के अभाव में अध्यापक लेवल प्रथम— संस्कृत के पद पर कार्यारम्भ नहीं करावे।) वर्ग (प्रेणी) आदि संबंधी नूल प्रमाण पत्रों से जाव कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्पस्त्यापित छाया प्रतियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल), संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी, धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अन्यथीं को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु भिजवायें।
- 2 उपरोक्त अन्यथियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित माध्यमिक शिक्षा वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- 3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अन्यथीं का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अन्यथीं को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करने से पूर्व पद के लिए निर्धारित योग्यता संबंधी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। अध्यापक लेवल प्रथम संस्कृत पद के लिए चयनित अन्यथियों के पास वरिष्ठ अध्यापक/प्राक् शास्त्री/उत्तर मध्यमा योग्यता होना अनिवार्य है। इस योग्यता के अभाव में अध्यापक लेवल प्रथम— संस्कृत पद पर कार्यारम्भ नहीं करावे एवं दस्तावेजों का एक सैट (अन्यथीं द्वारा प्रमाणित) कार्यालय अभिलेख में रखें। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सबूत में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अन्यथियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी रत्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अन्यथीं क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अन्यथीं को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अन्यथीं अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाणित हो जा कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अन्यथीं को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने उत्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अन्यथीं का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अन्यथीं उक्तानुसार सलग्न/प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत् शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।
8. एम.बी.सी में चयनित अन्यथियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1—वंजारा, बालदिया, लबाना, 2—गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3—गूजर, गुर्जर, 4—राईका, रेवारी (देवारी), 5—गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अन्यथीं होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अन्यथीं के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अन्यथियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण करने से पूर्व अन्यथीं की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अन्यथीं से 50/-रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। (शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है)
12. कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-ग/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अन्यथीं से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अन्यथियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।

14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. अन्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले सरस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
16. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मध्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
17. पदस्थापन स्थान आवटन में आपत्ति होने पर अभ्यर्थी दिनांक— 23.02.2023 तक अपनी परिवेदना मय आधार निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते हैं।
इन्हे उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर दिनांक— 08.03.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.teacher.2021@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(डॉ. भास्कर शर्मा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 21/02/2023

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/ 4870 - 77

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याबाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य विक्रिता एवं स्वारक्ष्य अधिकारी, संबंधित जिला।
5. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूल)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
6. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, रा. वरिउपा./प्रवे. सं. वि. को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
7. संबंधित अभ्यर्थी।
8. संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर